फर्द अहकाम

न्यायालय

मोहब्बत सिंह बनाम खेसोपुरा व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष 54/2021 : /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं० 2 उपस्थित प्रतिवादी सं० 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं तहसीलदार आमेर से प्राप्त कब्जेजात रिपोर्ट शामिल पत्रावली हो पत्रावली वास्ते उचित आदेश बाबत उक्त प्रतिवादी सं० 1 व बहस कब्जेजात रिपोर्ट हेतु 11/9/2023 को पेश हो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रक) आमेर मुख्यालय-जयपुर आज दिनांक 11/9/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/9/23 को पेश हों।	
	13/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं० 2 उपस्थित प्रतिवादी सं० 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं न ही कोई आपत्ति कब्जेजात रिपोर्ट पर पेश की वादी व प्रतिवादी सं० 1 ने वाद को प्रस्तावित कब्जेजात रिपोर्ट अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक [illegible]/2023 को पेश हो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	21/9/23	पत्रावली वास्ते [illegible] पेश हुई। वादीगण का वाद प्रस्तावित कब्जेजात रिपोर्ट अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर पंजी नं० से नाम होकर दाखिल दफ्तर हो	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:47:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड़, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 54/2021
निर्णय दिनांक : 21.09.2023

मोहब्बत सिंह श्री पन्ने सिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
--वादी

बनाम

1. बंशीधर पुत्र हीरा जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. भगवान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत निवासी– ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार, जरिये श्रीमान् तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत भूमि विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत</u>
<u>धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम महेशवासकलां पटवार हल्का, भू अभि. नि. रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर खसरा नम्बर 754/1077 रकबा 0.1100 हेक्टेयर है जिसमें वादी का हिस्सा 37/44 व प्रतिवादी बंशीधर का हिस्सा 5/44 व भगवान सिंह का हिस्सा 1/22 नियत है। इसी प्रकार ग्राम महेशवासकलां खसरा नम्बर 755 रकबा 0.30 हेक्टेयर जिसमें वादी का 7/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा निहित है तथा खसरा नम्बर 758 रकबा 0.22 हेक्टेयर वादी के स्वयं के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की जमीन है। यह कि खसरा नम्बर 758 को छोड़कर अन्य खसरा नम्बर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित सम्पत्तियाँ है जिनका आज तक तकासमा नही हुआ हैं।। मनबट के अनुसार काबिज रहकर उपयोग तथा उपभोग करते आ रहे है। यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के हक में दिनांक 15.01.2013 को एक विक्रय पत्र अपनी खातेदारी भूमि महेशवासकलां में स्थित खसरा नं 754/1077 रकबा 0.11 में से हिस्सा 5/44 भाग अर्थात 0.0125 हेक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 755 रकबा 0.30 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/8 अर्थात 0.0375 हेक्टेयर भूमि का विक्रय कर दिया। तब से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खसरा नम्बरान में सहखातेदार हुआ। उससे पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खसरा नम्बरान में सहखातेदार नही था। सहखातेदार होने कारण उक्त सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति हुई। तहसीलदार आमेर के आदेश क्रमांक LR/ 2031 दिनांक 21.06.2002 की अनुपालना में सीमाज्ञान ग्राम महेशवास कला, खसरा नम्बर 758, 755 व 754/1077 का करवाया गया, जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त विक्रय पत्र द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 754/1077 रकबा 0.1100 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 755 रकबा 0.3000 हेक्टेयर में से कुल रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि का विक्रय किया गया। जिसका कब्जा क्रेता को मौके पर वहमी बंटवारा अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बरान के पूर्वी सीमा पर संभला दिया गया था तथा उक्त विक्रयशुदा आराजी मौके पर क्रेता की पूर्व स्थित आराजी खसरा नम्बर 753 व 754 आदि से लगती स्थित है। जिसको नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया। जो कि वाद पत्र का अभिन्न अंग माना जायेगा। वादी उक्त संयुक्त हिस्से की भूमि का विधिक तकासमा करवाकर अपने हिस्से के अलग से खसरा नम्बर डलवाकर तकासमा करवाने का अधिकारी है। दिनांक 12.12.2021 को प्रतिवादीगण ने अन्य दीगर व्यक्तियों को बुलाकर उक्त खसरा नम्बरान की जमीन बेचने हेतु दिखाई, जिसकी सूचना वादी को होने पर वे वहाँ पहुंच गया तथा समझाईश व मना करने पर प्रतिवादीगण वहाँ से चले गये तथा जाते जाते इस आशय धमकी देकर गये कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को बिना किसी विभाजन के हम बेचकर रहेगे। जबकि अभी तक किसी भी सक्षम न्यायालय में विधिवत तकासमा नही हुआ है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद लाना आवश्यक हुआ है। वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित संयुक्त सहखातेदारी भूमि के किसी भी भाग को अपना बताकर बिना विभाजन के अन्य व्यक्ति को बेचान नही करे, रहन, बय, बख्शीश नही करे तथा अजनबी व्यक्ति को कोई कब्जा नही देवे, अजनबी व्यक्ति को बेचान, बय, बख्शीश नही करे, तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य व रद्दोबदल नही करे और मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्तन नही करे। ऐसा ना तो स्वयं करे, ना ही अपने [illegible] से [illegible] इत्यादि करवाये।

अतः वादीगण का वाद विरूद प्रतिवादीगण बाबत विभाजन डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 754/1077 व खसरा नम्बर 755 का विधिक तकासमा [illegible] खाता कायम किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर [illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.03.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 12.04.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता चन्दप्रताप सिंह ने यु.टी पेश की व दिनांक 19.04.2022 को वकालतनामा पेश किया। दिनांक 27.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:47:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दावा पेश कर अपने जबाव दावे में कब्जे के आधार पर बंटवारा कर लिया जावे, जिसमे मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 08.02.2023 को प्रकरण में बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 20.04.2023 से पूर्व भिजवाई जावे। दिनांक 05.09.2023 को तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/23/2377 दिनांक 03.08.2023 को कुर्रेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी एवं पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात हेतु नियत की गई। दिनांक 13.09.2023 को प्रकरण में बहस कुर्रेजात सुनी गई। प्रतिवादी सं 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं न ही कुर्रेजात पर कोई आपत्ति पेश की है। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं 2 ने वाद को मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अतिंम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम महेशवासकलां पटवार हल्का, भू अभि. नि. रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर खसरा नम्बर 754/1077 रकबा 0.1100 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 755 रकबा 0.300 हेक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
खाता सं 254	बंशीधर पुत्र हीरा हि. 5/44 जाति गुर्जर, भगवान सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हि. 1/22 जाति राजपूत, मोहब्बत सिंह पुत्र पन्ने सिंह हि. 37/44 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	754/1077	0.11	बा.2	0.44
खाता सं 255	बंशीधर पुत्र हीरा हि. 1/8 जाति गुर्जर, मोहब्बत सिंह पुत्र पन्ने सिंह हि. 7/8 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	755	0.30	बा.2	1.20

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	मोहब्बत सिंह पुत्र पन्ने सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	754/1077/2	0.0925	बा.2	
2	बंशीधर पुत्र हीरा हि. 5/7 जाति गुर्जर, भगवान सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हि. 2/7 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	754/1077/1	0.0175	बा.2	
3	बंशीधर पुत्र हीरा जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	755/1	0.0375	बा.2	
4	मोहब्बत सिंह पुत्र पन्ने सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	755/2	0.2625	बा.2	

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार आमेर को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा की एक प्रति ... कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:47:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्यामा राठौड)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड़, आर.ए.एस**
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड़, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 54 / 2021
निर्णय दिनांक : 21.09.2023

मोहब्बत सिंह श्री पन्ने सिंह, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
–वादी

बनाम

1. बंशीधर पुत्र हीरा जाति गुर्जर, निवासी– ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. भगवान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत निवासी– ग्राम महेशवासकलां, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार, जरिये श्रीमान् तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वाके ग्राम महेशवासकलां पटवार हल्का, भू अभि. नि. रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर खसरा नम्बर 754 / 1077 रकबा 0.1100 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 755 रकबा 0.300 हेक्टेयर का का तकासमा तहसीलदार आमेर जिला जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के मुताबिक वादी का वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
खाता सं. 254	बंशीधर पुत्र हीरा हि. 5 / 44 जाति गुर्जर, भगवान सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हि. 1 / 22 जाति राजपूत, मोहब्बत सिंह पुत्र पन्ने सिंह हि. 37 / 44 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	754 / 1077	0.11	बा.2	0.44
खाता सं 255	बंशीधर पुत्र हीरा हि. 1 / 8 जाति गुर्जर, मोहब्बत सिंह पुत्र पन्ने सिंह हि. 7 / 8 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	755	0.30	बा.2	1.20

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	मोहब्बत सिंह पुत्र पन्ने सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	754 / 1077 / 2	0.0925	बा.2	
2	बंशीधर पुत्र हीरा हि. 5 / 7 जाति गुर्जर, भगवान सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हि. 2 / 7 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	754 / 1077 / 1	0.0175	बा.2	
3	बंशीधर पुत्र हीरा जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	755 / 1	0.0375	बा.2	
4	मोहब्बत सिंह पुत्र पन्ने सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	755 / 2	0.2625	बा.2	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:47:05 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात ... किया ... अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आमेर को ... किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह............ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.09.203 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:47:05 IST
Reason: SelfAttested